

यदि आप अमेरिकी नागरिक हैं, चुनाव वाले दिन आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है, और मतदाताओं हेतु आपके राज्य में आवास संबंधी औपचारिकताएं पूरी करते हैं, तो आप 6 नवम्बर, 2012 को वोट डालने के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि मतदान स्थल पर आपके अधिकारों के बारे में आप भलीभांति जानते हैं। दुर्भाग्य से पिछले चुनावों में, अनेक दक्षिण एशियाई लोगों को, मतदाताओं को डराए—धमकाए जाने और दबाव में लिए जाने तथा भाषागत समस्याओं के कारण अपना वोट डालने में कठिनाईयों का सामना करते हुए, चुनावों में बड़ी परेशानी भरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। परिणामस्वरूप अनेक लोग निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने से हतोत्साहित हुए। वोट डालने के लिए सभी पात्र व्यक्तियों की मतपेटिका तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कानून और एजेंसियां मौजूद हैं।

चुनाव के दिन वोट देने के आपके अधिकार के संरक्षण, तथा आपके अधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होने पर किए जाने वाले उपायों के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर इस निर्देशिका में दिए गए हैं।

वोट के अधिकार को खैरात मत समझें!

दक्षिण एशियाई लोगों को अमेरिका में वोट देने का अधिकार हमेशा से प्राप्त नहीं रहा है। भगत सिंह थिंड, अक्षय कुमार मजूमदार तथा खेराती राम शर्मा व अन्य लोगों ने दक्षिण एशियाई लोगों को वोट देने से रोकने वाले कानूनों को 1900 के दशक के आरंभ में चुनौती दी। दक्षिण एशियाई लोगों को प्रभावित करने वाले आप्रवासन तथा नागरिकता संबंधी अधिकांश प्रतिबंध 1965 के बाद उठा लिए गए। वोट देने के अधिकारों हेतु हमारे समुदाय का संघर्ष, अन्य वर्णों वाले समुदायों के संघर्षों के जैसा ही रहा है। यह चुनाव के दिन हमें वोट के अधिकार का प्रयोग करने के महत्त्व का स्मरण कराता है।

आपको निम्न अधिकार प्राप्त हैं...

- आपका सही मतदान स्थल तथा निर्वाचक क्षेत्र जानना
- पोस्टेड मतदाता अधिकार विधेयक चिन्हों के माध्यम से आपके अधिकारों को जानना
- पोस्टेड मतदाता अनुदेशों के माध्यम से आपका वोट डालने के बारे में जानना
- आपको वोट देने या आपके अधिकारों को जानने में सहायक साहित्य, मतदान स्थल पर साथ में लाना
- आपका वोट डालने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना
- भाषा संबंधी सहायता प्राप्त करना
- मतदान बंद होने पर भी वोट देना, अगर आप कतार में हैं
- धमकी या पक्षपातपूर्ण प्रभावों से स्वतंत्र रहना
- मतदान कर्मियों से सौजन्यपूर्ण तथा पक्षपातरहित सहायता प्राप्त करना
- यदि आपका नाम पंजीकरण सूचियों में नहीं है या यदि आप जरूरी पहचान साक्ष्य नहीं लाए हैं तो प्रोविजन मतपत्र द्वारा वोट देना
- चुनाव के दिन वोट देने के लिए कार्य से 2 घंटों तक की छुट्टी प्राप्त करना।

निर्वाचन 2012

चुनाव के दिन अपने अधिकारों को जानें



saalt
SOUTH ASIAN AMERICANS LEADING TOGETHER

साउथ एशियन अमेरिकन्स
www.saalt.org ◆ info@saalt.org

सॉल्ट के 2012 के चुनाव संसाधन

- चुनाव के दिन आपके अधिकारों को जानें
- मैं कैसे भाग ले सकता हूँ?
- राष्ट्रपति चुनावों के बारे में एक निर्देशिका

हम प्रतिरूपण और प्रसारण को प्रोत्साहित करते हैं। इन सामग्रियों को मुफ्त में डाउनलोड करने के लिए कृपया saalt.org पर पढ़ाएं।

चित्र Rini Art® के सौजन्य से

saalt
SOUTH ASIAN AMERICANS LEADING TOGETHER

साउथ एशियन अमेरिकन्स लीडिंग टुगेदर
www.saalt.org ◆ info@saalt.org

निर्वाचन 2012

मैंने पंजीकरण कराया है, लेकिन जब मैं वोट देने गया, तो मुझे एक मतदान कार्यकर्ता द्वारा यह बताया गया कि मैं मेरे मतदान स्थल पर वोट देने के लिए पंजीकृत नहीं हूँ।

- चुनाव के दिन से पहले, आपके स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से संपर्क करके आपके पंजीकरण और मतदान स्थल का सत्यापन कर लें। आपके स्थानीय निर्वाचन कार्यालय की संपर्क जानकारी के लिए कृपया www.866ourvote.org/state पर पढ़ाएं।
- यदि आप वोट देने के लिए पंजीकृत हैं लेकिन आपको किसी मतदान कर्मी द्वारा चुनाव के दिन यह बताया जाता है कि आप पंजीकृत नहीं हैं, तो मतदान कर्मी से सूची की फिर से जांच करने को कहें और पुष्टि करें कि आपके पते के अनुसार आप सही मतदान स्थल पर हैं। आपका मत देने के लिए आपको सही मतदान स्थल पर जाना होगा।
- यदि आप सही मतदान स्थल पर हैं लेकिन पंजीकरण सूची में आपका नाम नहीं है, तो मतदान कर्मी द्वारा आपको 'प्रोविजनल मतपत्र' उपलब्ध कराया जाएगा। प्रोविजिनल मतपत्र द्वारा आप अपना वोट डाल सकेंगे लेकिन चुनावों के बाद इस मत को गणना में तभी शामिल किया जाएगा जब आपकी मतदाता पहचान सत्यापित कर ली जाएगी। यदि प्रोविजिनल मतपत्र के आधार पर मत देने के बाद कोई और चरण आपको पूरे करने हों तो मतदान कर्मी से अवश्य पूछ लें।

क्या मुझे वोट देने के लिए पहचानपत्र या नागरिकता साक्ष्य दिखाना होगा?

- अधिकांश राज्यों में, यदि आप पहली बार वोट नहीं दे रहे हैं और यदि आप डाक द्वारा पंजीकृत नहीं हुए हैं, तो आपके मतदान स्थल पर आपको पहचानपत्र दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
- तथापि ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ रही है (जिनमें कनेक्टिकट, ओहियो, वर्जीनिया तथा वैशिंगटन शामिल हैं) जहां फोटो रहित किसी प्रकार के पहचान साक्ष्य की अपेक्षा की जाती है जबकि अन्य राज्यों (लोरेंडा, जॉर्जिया, मिशिगन और टेक्सास शामिल हैं) में सभी मतदाताओं द्वारा मतदानकर्मी को सरकार निर्भाव फोटोयुक्त पहचानपत्र दिखाना होता है। आपके राज्य की मतदाता पहचानपत्र संबंधी अपेक्षाओं को जानने के लिए www.866ourvote.org/state पर पढ़ाएं।
- जिन राज्यों में पहचानपत्र दिखाने की अपेक्षा है, वहां चुनाव के दिन यदि आपके पास पहचानपत्र नहीं है, तो भी आप 'प्रोविजिनल मतपत्र' (उपर वर्णन किया गया है) के जरिए वोट दे सकते हैं। सुरक्षित तरीका अपनाएं, यदि आपके पास पहचानपत्र है, तो इसे आपके मतदान स्थल पर साथ ले लाएं।
- यद्यपि कुछ राज्यों (अन्ध्रप्रदेश, एरिजना, जॉर्जिया और टेनेसी) ने वोट हेतु पंजीकरण के नागरिकता का साक्ष्य कानून पारित किया है, लेकिन मतदान के समय किसी मतदानकर्मी द्वारा आपकी नागरिकता सत्यापित कराने को कहा जाना किर भी अवैधानिक है।

क्या मैं वोटिंग मर्शिनों की सहायता ले सकता हूँ?

- हाँ—आप वोटिंग मर्शिनों के उपयोग द्वारा सहायता ले सकते हैं या मतदान बूथ पर आपकी सहायता के लिए अपनी पसंद के किसी एक व्यक्ति (आपका नियोक्ता या यूनियन प्रतिनिधि न हो) को साथ लाकर मतपत्र द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं।
- वोट देने संबंधी अनुदेश आपके मतदान स्थल पर विधिएँ जाने चाहिए और आप किसी मतदानकर्मी से सहायता मांग सकते हैं।

क्या मुझे वोट देने के लिए अंग्रेजी में प्रवीण होना जरूरी है?

- नहीं — वोट देने के लिए अंग्रेजी में प्रवीणता जरूरी नहीं है। यदि आप सीमित अंग्रेजी बोल पाते हैं, तो आपके लिए मतपत्र का अनुवाद करने के लिए आपकी पसंद के एक व्यक्ति (आपका नियोक्ता न हो) को साथ लाकर आप सदैव मदद ले सकते हैं।

- वर्तमान में कुछ न्यायक्षेत्रों में वोटिंग सामग्रियों (जैसे कि मतदाता पंजीकरण फार्म, निर्वाचन निर्दिशें, मतदान स्थलों पर संकेत, मतदान अनुदेश, समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापन या मतपत्र) के लिखित अनुवाद कुछ निश्चित दक्षिण एशियाई भाषाओं (नीचे दिया गया चार्ट देखें) में उपलब्ध कराए जाते हैं। कुछ न्यायक्षेत्रों में आपके चुनाव पूर्व इन सामग्रियों हेतु अनुरोध करना पड़ सकता है।
- इसके अतिरिक्त इन न्यायक्षेत्रों में, लक्षित मतदानकर्मी निर्वाचनक्षेत्रों में अतिरिक्त दक्षिण एशियाई भाषाओं में मौखिक सहायता (जैसे कि दुभाषिया मतदान कर्मी या वोटर हॉटलाइन के कर्मचारी) भी होनी चाहिए।

यदि वोट देते समय कोई मुझे धमकाने या परेशान करने का प्रयास करे तो मुझे क्या करना चाहिए

- यदि वोट देने संबंधी आपके अधिकार को आपकी नस्ल, धर्म या नृजातीयता के अधार पर, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चुनावी दी जाती है जो निजी रूप से नहीं जानता कि आप वोट देने हेतु पात्र हैं या नहीं, तो आप मतदाताओं को धमकाने या उत्पीड़ित किए जाने की घटना के दायरे में आते हैं।

- यदि मतदाताओं को धमकाने की घटना आपके साथ घटित होती है, तो तत्काल किसी मतदान कर्मी को बताएं। यदि मतदान कर्मी ही समस्या का कारण हो, तो ऐसी घटनाओं को रिकार्ड करें और रिपोर्ट करें (नीचे देखें)

मेरे मताधिकारों का उल्लंघन होने की स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ?

- अनेक संगठन व सरकारी एजेंसियों की हॉटलाइनें हैं जहां मतदाता, मताधिकारों के उल्लंघन की तत्काल रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इनमें लॉयर्स कमेटी फॉर सिविल राइट्स (1-866-OUR-VOTE) तथा न्याय विभाग (1-800-253-3931) शामिल हैं।
- आप निर्वाचन पर्यवेक्षकों को भी होनी चाहिए। इनमें दिनांक और समय, मतदान की लोकेशन, संलग्न व्यक्ति(यों) का/के नाम, जो कुछ कहा गया या घटित हुआ उसका संक्षिप्त व्यौह, तथा गवाहों के नाम और संपर्क जानकारी।
- घटना के बारे में समस्त विवरण लिख लेना सुनिश्चित करें। इसमें दिनांक और समय, मतदान की लोकेशन, संलग्न व्यक्ति(यों) का/के नाम, जो कुछ कहा गया या घटित हुआ उसका संक्षिप्त व्यौह, तथा गवाहों के नाम और संपर्क जानकारी।

चयनित न्यायक्षेत्रों में दक्षिण एशियाई मतदाताओं के लिए भाषा सहायता

स्थान	उपलब्ध लिखित अनुवाद	उपलब्ध भौमिक भाषा सहायता	अनुवादित लिखित सामग्रियों हेतु अनुरोध/हॉटलाइनों तक पहुँच के लिए
शिकागो, आईएल	हिंदी: गुजराती और उर्दू में सी. मित जानकारी	गुजराती, हिंदी, उर्दू	<ul style="list-style-type: none"> • सामान्य मतदाता जानकारी / वेबसाइट (हिंदी अनुवाद उपलब्ध है): http://www.chicagoelections.com/ • गुजराती और उर्दू में "त्वरित तथ्य" सामग्री उपलब्ध है: http://www.chicagoelections.com/ • चुनाव के दिन शिकागो वाटर हॉटलाइन: (312) 269-7870
कुक का, उंटी, आईएल (उपनगरीय)	हिंदी: गुजराती और उर्दू में सी. मित जानकारी	गुजराती, हिंदी, उर्दू	<ul style="list-style-type: none"> • मतदाता पंजीकरण फार्म (हिंदी): http://www.cookcountyclerk.com/elections/DocumentLibrary/Hindi%20Voter%20Registration%20Form.pdf • विकलांग मतदाता फार्म (हिंदी): http://www.cookcountyclerk.com/elections/DocumentLibrary/Disabled%20voter%20Hindi.pdf • डाक मतपत्र अनुरोध फार्म (हिंदी): कुक काउंटी वर्कर कार्यालय को कॉल करें - (312) 603-0946 • चुनाव के दिन कुक काउंटी वाटर हॉटलाइन (हिंदी): (312) 603-6743
हैम्पट्रैक, एमआई	बंगाली	बंगाली	<ul style="list-style-type: none"> • मतदान अनुदेश (बंगाली): http://www.michigan.gov/documents/sos/ED-125-BN_08-2012_Instrc_for_Voting_Bengali_390981_7.pdf
लॉस एंजेल्स काउंटी, सीए	हिंदी	बंगाली, हिंदी, गुजराती	<ul style="list-style-type: none"> • सामान्य मतदाता जानकारी (हिंदी): http://www.lavote.net/VOTER/MULTILINGUAL/PDFS/MAIN_HINDI.PDF • अनुवादित सामग्रियों हेतु अनुरोध (हिंदी): लॉस एंजेल्स काउंटी रजिस्ट्रार-रिकार्डर/काउंटी वर्कर को कॉल करें - (800) 481-8683
न्यू जर्सी	गुजराती	गुजराती	<ul style="list-style-type: none"> • मतदाता पंजीकरण फार्म (गुजराती): http://www.state.nj.us/state/elections/form_pdf/voter-reg-forms/voter-reg-form-gujarati-041712.pdf • डाक मतपत्र फार्म (गुजराती): http://www.state.nj.us/state/elections/form_pdf/vote-mail-ballot-gujarati-030212.pdf
वर्सीस काउंटी, एनवाई	बंगाली	बंगाली, हिंदी, पंजाबी	<ul style="list-style-type: none"> • मतदाता पंजीकरण फार्म (बंगाली): http://vote.nyc.ny.us/pdf/forms/boe/voterreg/voterregbengali.pdf • बहुभाषी वोटर हॉटलाइनरु कॉल करें Call (866) VOTE-NYC